न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 31/2025

जीसीएमएस. रजि. संख्या : 2025/109

प्रार्थीपक्ष :–

श्री थावरचन्द पिता मेहजी पेशा उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत करजी, भाग प्रथम कोड 6306, बांसवाडा, जिला बांसवाडा

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान राज्य द्वारा जिला रसद अधिकारी, बॉसवाडा

उपस्थित

श्री राजेन्द्र पाटीदार
(अधिवक्ता अपीलार्थी)

जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम आदेश 1976)

निर्णय

दिनांक :– 29–10–2025

अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी थावर चन्द पिता मेहजी उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत करजी जिला बांसवाडा की उचित मुल्य दुकान का निरीक्षण प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 02.03.20217 को जांच की जाकर दिनांक 02.03.2017 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें खाद्यान्न एवं केरासीन का वितरण इन्द्राज नही पाया राशन कार्ड में जनवरी फरवरी 2017 में गेहूं व चिनी का वितरण नही पाया। जिसमें प्रवर्तन अधिकारी द्वारा 10 उपभोक्तओ के बयान लिये गये तथा उपभोक्ता द्वारा शिकायत की गई शिकायतकर्ता द्वारा राजनैतिक दबाव के कारण झुठी शिकायत की गई अपीलार्थी डिलर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र सं. 1071/2002 को निलम्बित कर नोटिस जारी किया गया परन्तु अपीलार्थी को सुने बिना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत मात्र उत्तर (जवाब) के आधार पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र सं. 1071/2002 को निरस्त करते हुए प्रतिभूति की समस्त राशि जब्त सरकार करने आ[illegible] है जिससे व्यथित व असन्तुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.02.18 12:39:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अपीलार्थी ने अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंट को सम्मन जारी किया गया।

दिनांक 15.10.2025 को रेस्पोडेंट जिला रसद अधिकारी ने उपस्थित होकर जवाव पेश किया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि प्रवर्तन निरीक्षक बागीदौरा द्वारा थावरचन्द/ मेहजी उचित मुल्य दुकानदार करजी भाग प्रथम के विरुद्ध दिनांक 02.03.2017 को शिकायत की जांच की गई। जांच रिपोर्ट में अनियमिताओ के लिये डीलर के विरुद्ध विभागीय प्रकरण संख्या 34/2017 दर्ज किया गया। इसके लिये डीलर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जांच में डीलर द्वारा गंभीर अनियमितताऐं करना पाया गया था। डीलर द्वारा 10 उपभोक्तओ को खाद्यान्न एवं केरोसीन का नियमित इन्द्राज दर्ज नही पाया गया। डीलर द्वारा राशन कार्डो में माह जनवरी फरवरी 2017 की गेहूं चीनी का वितरण दर्ज नही पाया गया। डीलर द्वारा अनियमिताऐं किये जाने पर दिनांक 02.03.2017 को डीलर का प्राधिकार पत्र सं. 1071/2002 निलम्बित किया गया। डीलर द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत नही किया गया। इस पर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इस कार्यालय के निर्णय दिनांक 25.10.2017 द्वारा डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया।

थोक विक्रेता राजस संघ बांसवाडा द्वारा डीलर को माह सितम्बर 2016 से फरवरी 2017 तक कुल 1121 क्विं गेहूं खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उपभोक्ताओ में वितरण हेतु उपलब्ध करवाया गया था। विभागीय आदेशानुसार माह सितंबर 2016 से रसद सामग्री का वितरण पोस मशिन के माध्यम से किया जाना था जो नही की जाकर अनियमितता की गई है।

डीलर के पास उपलब्ध 230.53 क्विं. गेहूं अस्थाई रुप से अधिकृत उचित मूल्य दुकानदार वीणा/ पुरषोतम को सुपूर्द किया जाकर था, ताकि [illegible] सामग्री प्राप्त करने से वंचित रहे उपभोक्ताओ को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया [illegible] द्वारा 230.53 क्विं गेहूं के

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.02.18 12:39:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

विरुद्ध 140 क्विं गेहूं ही अस्थायी डीलर को उपलब्ध करवाये गये। इस प्रकार 90.53 क्विं गेहूं उपलब्ध नही करवाया जाकर उक्त मात्रा की काला बाजारी की जाकर डीलर द्वारा अनुचित लाभ कमाया जाना पाये जाने एवं गंभीर अनियमितता किये जाने से डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया।

अपीलार्थी डीलर के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच में उपभोक्ताओ को राशन नही देना/ कम देना/ फर्जी इन्द्राज करना पाया गया। पाई गई अनियमितताओ के आधार पर उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई एवं प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। डीलर को कारण बताओ नोटिस दिया जाकर सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर अनियमितताओ के आधार पर उसका प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। डीलर द्वारा राशन वितरण में गंभीर अनियमितताऐं की जाकर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,5,9,11 व 17सी का उल्लंघन किया गया है। तथ्यो के आधार पर ही उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जाकर उसका प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। इसके तहत एफआईआर सं. 22 दिनांक 21.01.2018 के तहत दर्ज फोजदारी मूल प्रकरण संख्या 370/2023 अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागीदौरा के अंतिम निर्णय दिनांक 16.06.2025 के तहत प्रार्थी को धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के आरोप से दोषमुक्त किया गया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागीदौरा के अन्तिम निर्णय दिनांक 16.06.2025 के अनुसार प्रार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने पर कार्यालय को कोई आपत्ति नही है।

जिला रसद अधिकारी बांसवाडा द्वारा बहस के दौरान भी जवाब में उल्लेखित तथ्यो को अपने कथन में दौहराया।

अपीलांट के अधिवक्ता ने सर्व प्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में कथन किया कि अपीलार्थी को उक्त निर्णय एवं कानून की जानकारी नही होने तथा फौजदारी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.02.18 12:39:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

जहां तक अपील म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। लिहाजा अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा कोई अनियमितता नही की गई है। अपीलार्थी द्वारा उपभोक्ताओ को बराबर समय पर नियमित रुप से नियंत्रित सामग्री का वितरण किया गया है। अपीलार्थी द्वारा राज्य और केन्द्र सरकार के आदेशानुसार एवं मंशानुसार समाज के सभी वर्गो को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा समय समय पर दुकान को खोला गया है। अपीलार्थी को सितम्बर 2016 से फरवरी 2017 तक कुल 1121 क्विं गेहूं खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उपलब्ध कराया गया था जिसमें अपीलार्थी द्वारा 890.47 क्विं गेहूं का वितरण करना एवं 230.53 क्विं स्टॉक में उपलब्ध होना था परन्तु अपीलार्थी द्वारा राशनकार्ड धारको को शेष गेहूं का वितरण नियमानुसार कर स्टॉक रजिस्टर मेन्टेन किया गया है। उसके बावजुद भी अधिनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज किया और सिद्धान्त न्याय से वंचित रखते हुए अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है।

अपीलार्थी के विरुद्ध अनियमितता पाये जने पर प्रवर्तन अधिकारी बागीदौरा द्वारा प्रथम सूचना सं. 22/2018 पुलिस थाना कलिंजरा में अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दर्ज कराई गई जिसमे माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागीदौरा द्वारा प्रकरण सं. 370/2023 दर्ज कर निर्णय दिनांक 16.06.2025 को दोषमुक्त घोषित किया गया है तथा जांचकर्ता द्वारा मौके पर जिन राशनकार्ड धारको के कथन लेखबद्ध कर अनियमितता संबंधी कार्यवाही अमल में लाई गई थी वह सभी गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए है। जिला रसद अधिकारी बांसवाडा द्वारा स्वयं भी इस अपील में प्रस्तुत जवाब में यह उल्लेख किया है कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागीदौरा के अंतिम निर्णय दिनांक 16.06.2025 के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.02.18 12:39:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने पर कार्यालय को कोई आपत्ति नही है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी बांसवाडा के निर्णय दिनांक 25.10.2017 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र सं. 1071/2002 को पुनः बहाल किया जावे तथा प्रतिभूति राशि दिलाई जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। जिला रसद अधिकारी बांसवाडा का एक पक्ष यह कि "**अपीलार्थी डीलर के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच में उपभोक्ताओ को राशन नही देना/ कम देना/ फर्जी इन्द्राज करना पाया गया। पाई गई अनियमितताओ के आधार पर उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई एवं प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। डीलर को कारण बताओ नोटिस दिया जाकर सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर अनियमितताओ के आधार पर उसका प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। डीलर द्वारा राशन वितरण में गंभीर अनियमितताऐं की जाकर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,5,9,11 व 17सी का उल्लंघन किया गया है। तथ्यो के आधार पर ही उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जाकर उसका प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है।**" इसके विपरीत दुसरा पक्ष यह कि "**फोजदारी मूल प्रकरण संख्या 370/2023 अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागीदौरा के अंतिम निर्णय दिनांक 16.06.2025 के तहत प्रार्थी को धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के आरोप से दोषमुक्त किया गया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागीदौरा के अन्तिम निर्णय दिनांक 16.06.2025 के अनुसार प्रार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने पर कार्यालय को कोई आपत्ति नही है।**" इस प्रकार दोनो कथनो में अत्यन्त विरोधाभास है।

अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि पत्रावली अपूर्ण है एवं फोटो प्रति के रुप में है। अधिनस्थ न्यायालय में न तो आदशिका (प्रासिडिंग) न ही प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी को जारी कारण बताओ नोटिस पत्रावली में है। जांच के दौरान चिन्हित 10 राशनकार्ड धारको के बयान पत्रावली में नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.02.18 12:39:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–10–2017 को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय देते हुए जिला रसद अधिकारी बाँसवाडा को नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की से प्राप्त पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावे। अपीलार्थी दिनांक 28–11–2025 न्यायालय जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा में उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 29–10–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बॉसवाडा

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.02.18 12:39:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner